अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः– 29 / 2013

नरेन्द्र नारायण झा –– अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश दिनांकः 09.10.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 133 / 11 के विरूद्ध खिलाफ रेसपोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का वाद मौजा– कन्दाहा, थाना नं०–98–99, अंचल–महिषी तौजी नं०–5554, जमाबंदी संख्या–371 के अन्दर पुराना खाता नं०–39 पुराना खेसरा 641 एवं 643 दोनों खेसरा के अंश रकबा से बने नया खाता नं०–371, नया 1390 रकवा–47 डी० भूमि से संबंधित था है।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उक्त भूमि अपीलार्थी के दादा लक्ष्मी नारायण झा द्वारा निबंधित बिक्री दस्तावेज के माध्यम से क्रय किया गया था लक्ष्मी नारायण झा के बाद उनके वंशानुक्रम के अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत् भूमि स्व० सत्तनारायण झा के हिस्से मे आई एवं सत्तनारायण झा के दो पुत्र क्रमशः नरेन्द्र नारायण झा एवं रविन्द्र नारायण झा हुए। नये सर्वे के दौरान प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के भाई रविन्द्र नारायण झा के नाम से दर्ज हुई एवं भूमि की जमाबंदी भी अपीलार्थी एवं उनके भाई रविन्द्र नारायण झा के नाम से चलती है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन में आगे उनका यह कथन है कि उनके भाई रविन्द्र नारायण झा ने जीवित रहते हुए ही अपने हिस्से की भूमि अपने भाई (अपीलार्थी) को लिखित रूप से दान कर दी थी एवं उक्त भूमि पिछले 12 वर्षो से अपीलार्थी के शांतिपूर्वक दखल में है।

अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि अंचल अधिकारी, महिषी द्वारा किसी भी प्रकार का सूचना हेतु नोटिश निर्गत किये बिना ही अवैधानिक रूप से टापो सादा के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया एवं उक्त अवैध बासगीत पर्चा के आधार पर टापो सादा एवं अन्य द्वारा उक्त भूमि पर अपीलार्थी को तंग वो तबाह किया जा रहा है। उक्त बासगीत पर्चा को निरस्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष सभी आवश्यक कागजात के साथ भुमि विवाद वाद संख्या–133/2011 दाखिल किया गया एवं विपक्षियों को नोटिश निर्गत होने के उपरांत केवल विपक्षी संख्या–1 (नये रेस्पोण्डेन्ट बिहार राज्य) द्वारा विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पूर्णतः यांत्रिक एवं काल्पनिक कागजात उपस्थापित किया गया। तदोपरांत विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा अपीलार्थी के वाद को बिना समझे एवं महत्व दिये दिनांकः 09.10.2012 को वाद के तथ्यों एवं साक्ष्यों के सर्वथा विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

निम्नन्यायालय के समक्ष स0 स0 वकील की ओर से लिखित जबाब में कथन है कि वादी की ओर से कथन की पुष्टि में किसी भी प्रकार का कागजी प्रमाण, दान पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न अर्जी आवेदन में वर्णित तथ्य के आधार पर अपने पूर्वज के नाम केबाला से जमीन के प्राप्त होने के साक्ष्य के प्रमाण में कोई केबाला ही दाखिल है।

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा वादी के दाखिल अर्जी आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया है कि विवादी भूमि का अंतिम प्रकाशित खतियान आवेदक एवं आवेदक के भाई के नाम खाता नं0 371 में दर्ज हुआ है तो पुनः उसी भूमि के लिए अधिकार एवं दखल की घोषणा के लिए प्रतिवादी नं0 2 को पक्षकार कायम कर वाद दाखिल करने का औचित्य नहीं बनता है, चूँकि आवेदक द्वारा आशंकित बेदखली के तथ्य को उजागर किया है। वादी की ओर से दाखिल वाद ठोस कागजी प्रमाण पर अधारित नहीं है, बल्कि नाम रिविजनल सर्वे खतियान इन्द्राज के आधार पर ही लाया जाना परिलक्षित है जो इस न्यायालय के परिधि से बाहर, बिना किसी वाद कारण के दाखिल आवेदन है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी वकील का सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा कोई नयी बात नहीं रखी गयी है और न ही कोई कागजी प्रमाण ही दाखिल किया गया है अतएव निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा